

पंचायत निर्वाचन

प्ररूप-4

(नियम-31 देखिये)

नामनिर्देशन पत्र

**\*जिला पंचायत सदस्य/जनपद पंचायत सदस्य/सरपंच/पंच**

मैं प्रस्तावक, \*जिला पंचायत सदस्य/जनपद पंचायत सदस्य/सरपंच/पंच के स्थान के लिए निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता/करती हूँ :-

**\*निर्वाचन के पद का विवरण**

जिले का नाम			
<b>*जिला पंचायत सदस्य</b>		<b>*जनपद पंचायत सदस्य</b>	
जिला पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक/वार्ड क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक/वार्ड क्रमांक

<b>*सरपंच</b>		<b>*पंच</b>		
जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड क्रमांक

**अभ्यर्थी का विवरण**

1.	अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में)			
2.	*लिंग	पुरुष	महिला	अन्य
3.	अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम			
4.	अभ्यर्थी के डाक का पूरा पता			

**5. अभ्यर्थी का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने का विवरण**

जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का वार्ड क्रमांक	मतदाता क्रमांक

**प्रस्तावक का विवरण**

6.	प्रस्तावक का पूरा नाम (हिन्दी में)			
7.	*लिंग	पुरुष	महिला	अन्य
8.	प्रस्तावक के पिता/पति का नाम			
9.	प्रस्तावक के डाक का पूरा पता			
10.	प्रस्तावक का मोबाईल नम्बर			

**11. प्रस्तावक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने का विवरण**

जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का वार्ड क्रमांक	मतदाता क्रमांक

\*जो लागू न हो उसे काट दें.

दिनांक .....

प्रस्तावक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नाम .....

**अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्देशन की सम्मति**

मैं ऊपर नामित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन को अपनी सम्मति देता/देती हूँ और मेरे बारे में आवश्यक जानकारियाँ निम्नानुसार है :-

12.	जन्मतिथि	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
13.	संवीक्षा तिथि को पूर्ण होने वाली आयु (वर्ष में)								
14.	जाति अथवा वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)								
15.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में जाति का नाम								
16.	जाति के लिए अधिसूचित जिले का नाम								
17.	मतपत्र में मुद्रित किये जाने वाला नाम (हिन्दी में)								
18.	मतपत्र में मुद्रित किये जाने वाले नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग								
19.	अभ्यर्थी का मोबाईल नम्बर								

मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार ऊपरवर्णित जानकारी सत्य है तथा मैं उपर्युक्त पद के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित नहीं हूँ।

दिनांक .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान  
नाम .....

**नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज़**

क्रमांक	दस्तावेज़ का विवरण	संलग्न (हाँ/नहीं)
1.	मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम-31(क) के तहत आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता घोषित करने के सम्बंध में निर्धारित प्ररूप में <b>*शपथपत्र/घोषणापत्र दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रति के साथ.</b>	
2.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी <b>जाति प्रमाणपत्र</b> की प्रति.	
3.	<b>प्रतिभूति राशि जमा किये जाने की रसीद.</b>	
4.	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-36 के अंतर्गत <b>विद्युत कम्पनी का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.</b>	
5.	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-36 के अंतर्गत के अंतर्गत <b>*जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.</b>	
6.	अन्य -	
7.	अन्य -	

\*लागू न होने वाला शब्द काट दीजिये.

दिनांक .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान  
नाम .....

(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाये)

1.	नामनिर्देशन का क्रमांक		
2.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने की तारीख		
3.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने का समय		
4.	*रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति	अभ्यर्थी	प्रस्तावक

नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का विवरण, जिसके सम्बंध में अभ्यर्थी को पावती दी गई है.  
(कॉलम क्रमांक-3 एवं 4 में वही जानकारी अंकित की जाये जो अभ्यर्थी की पावती में अंकित की गई है.)

क्रमांक	दस्तावेज का विवरण	संलग्न (हाँ/नहीं)	यदि संलग्न नहीं है तो उक्त दस्तावेज रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने की समयसीमा	
			दिनांक एवं समय	अवसर
1	2	3	4	5
1.	मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम-31(क) के तहत आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता घोषित करने के सम्बंध में निर्धारित प्ररूप में <b>*शपथपत्र/घोषणापत्र दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रति के साथ.</b>		*शपथपत्र/घोषणापत्र, रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.	
2.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी <b>जाति प्रमाणपत्र</b> की प्रति.			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
3.	<b>प्रतिभूति राशि जमा किये जाने की रसीद.</b>		प्रतिभूति राशि जमा किये जाने की रसीद, रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.	
4.	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-36 के अंतर्गत <b>विद्युत कम्पनी का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.</b>			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
5.	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-36 के अंतर्गत के अंतर्गत <b>जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.</b>			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
6.	अन्य -			
7.	अन्य -			

\*जो लागू न हो उसे काट दें.

दिनांक .....

रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) के  
हस्ताक्षर

नाम .....

नामनिर्देशन पत्र को स्वीकृत या प्रतिक्षेपित करने के सम्बंध में रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन पत्र का परीक्षण मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम-35 के अनुसार कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप से विनिश्चय करता हूँ :- (\*\*)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

दिनांक .....

रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) के  
हस्ताक्षर  
नाम .....  
सील .....

\*\*यदि नामनिर्देशन पत्र प्रतिक्षेपित किया जाता है तो उसके कारण लिखे जायें.

**\*जिला पंचायत सदस्य/जनपद पंचायत सदस्य/सरपंच/पंच पद के अभ्यर्थी को प्रदान करने के लिए नामनिर्देशन पत्र के लिए पावती और संवीक्षा करने की सूचना.**

1.	नामनिर्देशन का क्रमांक		
2.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने की तारीख		
3.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने का समय		
4.	*रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति	अभ्यर्थी	प्रस्तावक
5.	अभ्यर्थी का नाम		
6.	पद का नाम जिसके लिए नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिला पंचायत सदस्य/जनपद पंचायत सदस्य के लिए निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड क्रमांक भी अंकित करें। सरपंच के लिए ग्राम पंचायत का नाम और पंच के लिए ग्राम पंचायत तथा वार्ड का क्रमांक भी अंकित करें।		
7.	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा की तिथि		
8.	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा का समय		
9.	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा का स्थान		

**नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का विवरण**

क्रमांक	दस्तावेज का विवरण	संलग्न (हाँ/नहीं)	यदि संलग्न नहीं है तो उक्त दस्तावेज रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने की समयसीमा	
			दिनांक एवं समय	अवसर
1	2	3	4	5
1.	मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम-31(क) के तहत आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता घोषित करने के सम्बंध में निर्धारित प्ररूप में <b>*शपथपत्र/घोषणापत्र दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रति के साथ.</b>		*शपथपत्र/घोषणापत्र, रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.	
2.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी <b>जाति प्रमाणपत्र</b> की प्रति.			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
3.	<b>प्रतिभूति राशि जमा किये जाने की रसीद.</b>		प्रतिभूति राशि जमा किये जाने की रसीद, रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.	
4.	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-36 के अंतर्गत <b>विद्युत कम्पनी का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.</b>			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
5.	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-36 के अंतर्गत के अंतर्गत <b>*जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.</b>			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
6.	अन्य -			
7.	अन्य -			

\*जो लागू न हो उसे काट दें.

दिनांक .....

.....  
रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) के  
हस्ताक्षर

नाम .....

सील .....